

ANNEXURE - I

यूएसओ तामर
सुलसित



उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

राष्ट्रीयक शिक्षण, कानपुर रोड, काशी-200027
दूरभाष: 0512-232793 फ़ैक्स: 0512-2327185

संख्या: 33/प्रशासिक/कानपुर/10/054932-41

दिनांक: 1-2-2010

सेवा में,

निदेशक,

चन्द्र शेखर सिंह कालेज आफ फार्मसी,
कौशाम्बी

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचना कानून की अपेक्षा है कि शासन का पत्र संख्या 2010 / सोलह / 2009 / 13(15) / 2009 दिनांक 29-07-2009 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्य परंपरा द्वारा अपनी बैठक दिनांक 13 अक्टूबर 2009 में चन्द्र शेखर सिंह कालेज आफ फार्मसी, कौशाम्बी को शैक्षणिक कार्यक्रम 60 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्वीकृत पत्रिका संख्या 10/054932-41 दिनांक 1-7-2009 में सम्बद्धता को स्वीकृत करने की गई है।

1. संस्था व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षण/उच्च प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित/प्राप्त के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती तथा सूचना विभाग निर्मित द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमति फॉर्म ही प्रेषित छात्रों से लेगे तथा शिक्षण प्रावधान में सम्बंधित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वंछित सूचना समय से उपलब्ध करायेंगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विरोधाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
3. संस्था में एक माह के अन्दर, संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार 3050 शासन को प्रदत्त किया जा सके।
4. संस्था द्वारा छात्रों से की गयी फीस की सूचना एक पत्र के अन्तर्गत अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हुए उसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध बर्तव्यित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की स्थिति में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. संस्था में किसी भी त्रुटि/अप्रतिष्ठित कार्य के कारण प्रेषित सूची प्राविधिक विश्वविद्यालय में अपाणी वर्ष अर्थात् 2010-11 की सम्बद्धता विस्तारण की सम्पूर्णता की जा गयीगी और सभी संस्था को प्रेषित सूचना में अप्रतिष्ठित त्रुटि का सुकना।
7. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मतकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

PRINCIPAL

Chandra Shekhar Singh
College of Pharmacy
Kailaha, Puramufji-Kaushambi

8. बी फार्म प्रत्यक्ष संघातित संस्थाएं नियमित भाग्यी काऊन्सिल आफ हाइड्रो से आवश्यक अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेगा।
 9. इन संस्थाओं की अध्यापन एवं निर्यातविद्यालय के पानजे के सम्बंध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरोक्षण अथवा जॉन की जाती है अथवा कोई कॉर्टस जारी की जाती है तो सम्बंधित संस्था(ओं) की सम्बद्धता पर कौण्वाही के अधीन होगी।
 10. परम्पत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शिक्षांक संस्थाओं में प्रवेश (अनुचित लॉकर्स, अनुचित सम्बन्ध और अन्य विच्छेद वगैरे के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जाएगा।
- उपरोक्त जतों के अनुपालन में अथवा संस्था के अकर्मिक निरोक्षण में किसी प्रकार की कार्यवाही या जमाने/विच्छेदन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को काम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रस्ताव

(यू0एस00तौर)

कुलसचिव

सम्बन्धित संस्था व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, कृषि/पर्यावरण / श्री सम्बन्धित मंत्रालय, सम्बद्धता लक्ष्यकर्ता।
2. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की प्रशासनी।

(यू0एस00तौर)

कुलसचिव

PRINCIPAL

Chandra Shekhar
College of Pharmacy
Kollaha, Puramufli-Kaushambi